IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 24 | अंक 6 | सांचौर, रविवार, 15 मार्च 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

316 अधिकारियों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी

जयपुर। राजस्थान राज्य सरकार ने सहकारिता सेवा के नियमित रूप से चयनित अधिकारियों की 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार अंतरिम (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार से लेकर सहायक रजिस्ट्रार कैडर तक के कुल 316 अधिकारियों की वरिष्ठता क्रमवार निर्धारित की गई है। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव, प्रहलाद सहाय नागा द्वारा 9 मार्च 2026 को यह सूची जारी की गई। विभाग ने अधिकारियों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का 18 मार्च 2026 तक राजकाज (RajKaj) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज के अलावा सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rajsahakar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाई जा चुकी है

10 पैक्स में प्रशासक नियुक्त

बाड़मेर। जिले की 10 बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है । इसके लिए उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बाड़मेर द्वारा आदेश जारी किया गया है । जिसके अनुसार, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 विभिन्न बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में निर्वाचन संपन्न होने तक प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि संबंधित समितियों के संचालक मंडल की अवधि समाप्त हो चुकी है और किन्हीं कारणों से अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। वही आदेश के तहत झाक में प्रदीप छीपा, नवातला राठौड़ान व आलपुरा में बन्ने सिंह, धारवी कलां में ईश्वर जाखड़, बलाई व झापली कलां में खेताराम, सनाऊ में दानाराम, करटिया में जितेन्द्र कुमार तथा जैसिन्धर स्टेशन व बबूलरिया में भूर सिंह को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महिला सहकारी समितियों के लिए 6 लाख स्वीकृति

जयपुर। सहकारिता विभाग ने झुंझुनू जिले की गोठड़ा, उदामंडी, गोठड़ा, नेवरी महिला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, राजस्थान द्वारा जारी इस आदेश के तहत प्रत्येक समिति को 1.50 लाख रुपये की हिस्सा राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "महिला सहकारी समितियों को सहायता" योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। सरकार का उद्देश्य इन समितियों के सृजन और सुचारू संचालन में मदद करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। यह राशि सीधे समितियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

ब्याज अनुदान के अभाव में दम तोड़ती पैक्स और लैम्पस

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । केंद्र सरकार का नारा है 'सहकार से समृद्धि'। विकसित भारत 2047 के संकल्प में सहकारी संस्थाओं को रीढ़ की हड्डी माना गया है। लेकिन राजस्थान के धरातल पर यह 'रीढ़' अब टूटने की कगार पर है। प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां पैक्स और लैम्पस , जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी हुआ करती थीं, आज खुद वेंटिलेटर पर हैं। वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकार की 'बजट की कतरन' और वित्त विभाग की 'फाइली कछुआ चाल' है। करोड़ों रुपये का ब्याज अनुदान पिछले कई सीजन से अटका पड़ा है। आलम यह है कि जो संस्थाएं किसानों को ब्याज मुक्त ऋण बांटकर उनकी तकदीर बदलती थीं, आज वे खुद बिजली बिल और ऑडिट फीस भरने के लिए निजी साहूकारों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हैं। राजस्थान में 'ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण योजना' के तहत किसानों को शून्य प्रतिशत पर कर्ज दिया जाता है। इस योजना का वित्तीय ढांचा दो स्तंभों पर टिका है । यह

स्तंभ राज्य सरकार का 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान और केंद्र सरकार का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान हैं । हालांकि जब किसान समय पर ऋण चुकाता है, तो यह कुल 7 प्रतिशत राशि राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों तक पहुंचनी चाहिए। यही वह पैसा है जिससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन होता है, कर्मचारियों का वेतन निकलता है और रोजमर्रा के खर्च पूरे होते हैं। विभागीय सूत्रों और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अपना 3 प्रतिशत हिस्सा समय पर जारी किया है, लेकिन राजस्थान का वित्त विभाग अपने 4 प्रतिशत के वादे को निभाने में विफल रहा है। पिछले दो वर्षों का बकाया इतना बढ़ गया है कि अब वह 'पहाड़' जैसा नजर आने लगा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27: 'ऊंट के मुंह में जीरा'

हैरानी की बात यह है कि हम आज मार्च 2026 में खड़े हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बीते कल में अटकी हैं। हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया के लिए मात्र 194 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सहकारी विशेषज्ञों का कहना है कि यह राशि कुल देनदारियों का 10 प्रतिशत भी नहीं है। यह 'खाली चम्मच दिखाकर भूख मिटाने' जैसा है। जब तक पिछला बकाया क्लियर नहीं होता, तब तक नई समितियों का अस्तित्व बचाना नामुमकिन होगा।

ग्राउंड जीरो की आवाजः 'हमारी जेबें खाली हैं'

पैक्स/लैम्पस कार्मिक संघ के प्रतिनिधि का दर्द उनकी बातों में साफ झलकता है "हम सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। किसान को खाद, बीज और ऋण दिलाते हैं। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? अनिश्चितता। अगर बिजली का बिल भरने के लिए भी चंदा करना पड़े, तो 'सहकार से समृद्धि' का नारा बेमानी है।"

भविष्य की चेतावनीः क्या ढह जाएगा साख ढांचा?

यदि तुरंत ब्याज अनुदान जारी नहीं किया गया, तो इसके परिणाम भयावह होंगे । आगामी खरीफ और रबी सीजन में किसानों को मिलने वाला फसली ऋण अटक सकता है। समितियां डिफॉल्ट होंगी, जिससे केंद्रीय सहकारी बैंकों की रेटिंग गिरेगी। राजस्थान सरकार को यह समझना होगा कि सहकारिता केवल वोटों की राजनीति का जरिया नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। वित्त विभाग को अपनी 'कछुआ चाल' छोड़कर युद्धस्तर पर बजट जारी करना होगा। फाइलों के जाल में उलझा हुआ 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों पैक्स कर्मचारियों के परिवारों की रोजी-रोटी है।

आरटीआई : जवाबदेही की 'फुटबॉल'

जब इस संकट के बारे में आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत सवाल पूछे गए, तो सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता खुलकर सामने आई। वित्त विभाग ने गेंद सहकारिता विभाग के पाले में डाल दी। सहकारिता विभाग का कहना है कि उनके पास 'बजट आवंटन' की शक्ति नहीं है। यह वैसी ही स्थिति है जैसे घर का मुखिया राशन के पैसे न दे और भूखे बच्चों से कहे कि 'रसोई घर से पूछो खाना क्यों नहीं बना'। जवाबदेही की इस लुका-छिपी ने ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को 'अवसायन' की राह पर धकेल दिया है।

पैक्स और लैम्पस के हजारों कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला

ब्याज अनुदान न मिलने का सीधा असर समितियों के संस्थापन व्यय पर पड़ा है।रिपोर्ट के अनुसार, पैक्स और लैम्पस के हजारों कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। जो कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाते थे, आज वे खुद बैंकों के 'डिफॉल्टर' बन रहे हैं। समितियों के पास स्टेशनरी, बिजली बिल और कानूनी ऑडिट शुल्क भरने के पैसे नहीं हैं। कई समितियां अंधेरे में काम कर रही हैं क्योंकि बिजली कट चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट पूरी करने के लिए समितियां निजी ऋण ले रही हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जहां सहकारी संस्थाएं खुद 'साहूकारी' प्रथा की शिकार हो रही हैं।

संस्थागत कृषि ऋण में भारी उछाल: वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में पेश किए आंकड़े

कृषि ऋण 31.34 लाख करोड़ रुपये के पार, सहकारी ऋण की भूमिका अहम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश में कृषि क्षेत्र को दिया गया कुल बकाया संस्थागत ऋण 31 दिसंबर 2025 तक बढ़कर 31.34 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह आंकड़ा देशभर में खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए बढ़ते ऋण प्रवाह को दर्शाता है। सांसद राजा ए के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार कुल कृषि ऋण में फसल ऋण 16.34 लाख करोड़ रुपये और टर्म लोन 15.00 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। इस प्रकार ग्राउंड लेवल क्रेडिट के तहत कृषि क्षेत्र में कुल बकाया ऋण 31,34,807.42 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। नाबार्ड के ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इन्क्लूजन सर्वे 2021-22 के अनुसार देश के लगभग 55 प्रतिशत कृषि परिवारों ने किसी न किसी रूप में ऋण सुविधा का लाभ लिया है। सर्वे के मुताबिक किसान मुख्य रूप से पूंजी निवेश, कार्यशील पूंजी और अन्य कृषि संबंधी खर्चों

कई दीर्घकालिक योजनाएं भी चला रही

इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई दीर्घकालिक योजनाएं भी चला रही है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषोन्नति योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल हैं, जो किसानों को आय सहायता, फसल बीमा और विकास सहायता प्रदान करती हैं। कृषि ऋण व्यवस्था में सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण स्तर पर किसानों तक कृषि ऋण पहुंचाने में अहम कड़ी हैं।

को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं, जिससे कृषि गतिविधियों को बनाए रखने और उनका विस्तार करने में मदद मिलती है। नाबार्ड के नीतिगत समर्थन और पुनर्वित्त व्यवस्था के साथ राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और पैक्स से मिलकर बना सहकारी ऋण ढांचा देशभर में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को सुलभ और किफायती कृषि ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए

राज्यवार आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में सबसे अधिक 5.06 लाख करोड़ रुपये का बकाया कृषि ऋण है। इसके बाद आंध्र प्रदेश (3.75 लाख करोड़ रुपये) और महाराष्ट्र (3.07 लाख करोड़ रुपये) का स्थान है। अन्य प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश (2.30 लाख करोड़ रुपये), कर्नाटक (2.10 लाख करोड़ रुपये) और राजस्थान (1.92 लाख करोड़ रुपये) शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें कृषि ऋण प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य तय करना, बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के मानदंड, तथा किसान क्रेडिट कार्ड और संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के माध्यम से सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना शामिल है।

बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिशाषी अधिकारी एपीओ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता विभाग ने प्रशासनिक कारणों से बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक में अधिशाषी अधिकारी पद पर पदस्थ, राज्य सहकारिता सेवा के उप रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी हरिराम पूनिया को एपीओ कर दिया हैं । इसके लिए सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा आदेश जारी किया गया हैं । जिसके अनुसार, बाड़मेर सीसीबी अधिशाषी अधिकारी हरिराम पूनिया को अग्रिम आदेशों तक 'पदस्थापन की प्रतीक्षा' में रखा गया है। उन्हें इस अवधि के दौरान अपनी उपस्थिति सहकारिता विभाग के शासन सचिवालय, जयपुर में देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, विभाग ने बाड़मेर सीसीबी अधिशाषी अधिकारी पद का अतिरिक्त कार्यभार विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां, बाड़मेर सुरेश चंद मीणा को सौंपा हैं ।

सहकारी समिति में अनियमितता पर कार्रवाई

1.54 करोड़ की वसूली के निर्देश -सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । विधानसभा में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर की ग्राम खाटसजवार ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋण खातों में हुई अनियमितता के लिए अधिकारियों— कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए समिति की विस्तृत जांच की अनुशंषा की गई है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन व्यवस्थापक श्री धर्मपाल यादव को 1 करोड़ 54 लाख 48 हजार 783 रुपये की अनियमितता के लिए पूर्णयताः दोषी करार देते हुए उनसे यह पैसा 12 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सहकारिता राज्य मंत्री ने विधायक श्री गुरवीर सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समिति को ब्लैकलिस्ट घोषित नहीं किया गया है। समिति की दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवम् सादुलशहर क्रय विक्रय सहकारी समिति में सदस्यता निलम्बित नहीं है। समिति के सदस्यों को उनके द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर नियमानुसार अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है।

भूमि एवं वित्तीय उपलब्धता के आधार पर होगा गोदाम का निर्माण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। विधानसभा में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में फसलों के भंडारण के लिए राजस्थान राज्य भंडारण निगम के माध्यम से गोदाम का निर्माण भूमि एवं वित्तीय उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल में विधायक श्री रतन देवासी के पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जालौर जिले में वर्तमान में कुल 3 गोदामों में 17 हजार 50 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध है। जिसमें जालौर, भीनमाल व सांचौर में क्रमशः 10 हजार 400, 4 हजार 850 व 1 हजार 800 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता है। कुमार ने सदस्य श्री रतन देवासी के मूल प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए गत पांच वर्षों में जालौर जिले में क्रय की गई फसलों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने उक्त अवधि में जालौर जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों के भण्डारण का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने पैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को गति देने के लिए कमर कस ली है

पीएम धन धान्य योजना के तहत 8 जिलों में पैक्स ऑडिट में आएगी तेजी, प्रबंध निदेशक ने जारी किए निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने राज्य में 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन और पैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को गति देने के लिए कमर कस ली है। बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र जारी कर राज्य के 8 चयनित जिलों में जल्द से जल्द ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पैक्स कंप्यूटराइजेशन परियोजना के तहत समितियों को ERP सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया जा रहा है। इसके लिए समितियों की लीगेसी ऑडिट (पुरानी ऑडिट) और ऑन-सिस्टम ऑडिट होना अनिवार्य के साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित वेबिनार के निर्देशों के क्रम में, बैंक ने ऑडिटर्स को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरा करने को कहा है।आंकड़ों से स्पष्ट है कि नागौर 52 और पाली 34 में मैनुअल ऑडिट का बकाया सबसे अधिक है, जबकि जोधपुर ऑन-सिस्टम ऑडिट के मामले में सबसे आगे चल रहा है।

इन 8 जिलों पर रहेगा विशेष फोकस

योजना के प्रथम चरण में पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख जिलों को लक्षित किया गया है। इनमें बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली शामिल हैं ।

जिलेवार ऑडिट की स्थिति (मुख्य आंकड़े)

जारी आंकड़ों के अनुसार, इन 8 जिलों में कुल 2033 पैक्स आवंटित हैं। ऑडिट की वर्तमान स्थिति इस प्रकार बताई गई है !

कुल आवंटित पैक्स	:	2033
लंबित मैनुअल ऑडिट	:	166
कट-ऑफ 23-24 ऑन-सिस्टम ऑडिट	:	19
कट-ऑफ 24-25 ऑन-सिस्टम ऑडिट	:	76

महत्वपूर्ण है यह ऑडिट?

पीएम धन धान्य योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। जब तक पैक्स की ऑडिट रिपोर्ट सिस्टम पर अपडेट नहीं होगी, तब तक कंप्यूटराइजेशन का लाभ पूरी तरह से जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रक्रिया से समितियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और किसानों को ऋण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी।

कैसे सुधरेगा तंत्र?

37 साल से भर्ती पर ग्रहण और दम तोड़ती योजनाएं

'कैडर' का नारा आज के दौर में रस्मी और खोखला प्रतीत हो रहा है। राजस्थान में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति का जो ढांचा किसानों की मदद करने के लिए खड़ा किया गया था, आज वह खुद ही कुप्रबंधन, प्रशासनिक उदासिनता और हठधर्मिता के बोझ तले कराह रहा है। 27 फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार महज एक बहिष्कार नहीं, बल्कि उस सिस्टम की विफलता का चीखता हुआ प्रमाण है, जिसे चलाने वाले जिम्मेदार पद पर बैठकर भी 'नींद' में हैं। विडंबना देखिए कि एक ओर सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दुहाई देती है और दूसरी ओर, बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में उन्हें दर-दर भटकने को मजबूर किया जा रहा है। सहकारिता विभाग की लचर कार्यप्रणाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेशभर में पिछले लंबे समय से केंद्रीय सहकारी बैंकों के 285 एटीएम बंद पड़े हैं और किसानों के 16 लाख एटीएम कार्ड महज प्लास्टिक के टुकड़े बनकर रह गए। वर्तमान स्थिति और भी भयावह है। व्यवस्थापकों के कार्य बहिष्कार के कारण पैक्स कंप्यूटराइजेशन, ब्याज मुक्त ऋण योजना और गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं ठप पड़ी हैं। किसान 31 मार्च की डेडलाइन सिर पर लिए, हाथ में नगदी लेकर समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर है। राज्यभर में एक बारीय ऋण बांटने वाले जिलों का उदाहरण लें, तो लाखों से ज्यादा किसान केवल व्यवस्थापकों की जिद और सरकार की संवेदनहीनता के कारण ऋण जमा नहीं कर पा रहे हैं। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो 1 अप्रैल से ये किसान 7 प्रतिशत की छूट खो देंगे और उन्हें 9 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का दंड भुगतना होगा। यह केवल कर्मचारियों की मांग या वेतन का मुद्दा नहीं है; यह उस अकुशल तंत्र की जद्दोजहद है जो दशकों से रिक्त पदों और भविष्य की 'काल्पनिक प्लानिंग' के सहारे चल रहा है। समितियों में स्थाई व्यवस्थापकों की कमी और भर्ती पर 37 सालों से लगा ग्रहण यह बताने के लिए काफी है कि नीति निर्माताओं की प्राथमिकताएं किसानों के हित से कोसों दूर हैं। समय की मांग है कि सरकार और सहकारिता विभाग अपनी 'अधिकारी-शैली' से बाहर निकलें। केवल कर्ज वसूली के टारगेट पूरे करने के लिए अधिकारियों का सक्रिय होना और बाकी समय सिस्टम को भगवान भरोसे छोड़ देना, प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। सहकारी आंदोलन के त्रि-स्तरीय ढांचे की संस्थाओं को प्रशासनिक हठधर्मिता और कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के बीच 'फुटबॉल' न बनाया जाए। "यदि सहकारिता को वास्तव में 'समृद्धि' का माध्यम बनाना है, तो ठोस नीति, तकनीकी उन्नयन और प्रशासनिक संवेदनशीलता को कागजों से निकालकर धरातल पर लाना होगा।" !!जय सहकार !!

हीट वेव की आहट और खेती पर बढ़ता संकट

> **"हाल के वर्षों में मौसम के मिजाज में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, उसने इस प्राकृतिक संतुलन को चुनौती दे दी है। इस वर्ष भी मार्च के शुरुआती दिनों में ही तापमान ने कई स्थानों पर पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विशेष रूप से राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।"**

मार्च का महीना सामान्यतः बसंत और हल्की गर्माहट का समय माना जाता है। यह वह दौर होता है जब सर्दी धीरे धीरे विदा लेती है और प्रकृति नए मौसम के स्वागत की तैयारी करती है। लेकिन हाल के वर्षों में मौसम के मिजाज में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, उसने इस प्राकृतिक संतुलन को चुनौती दे दी है। इस वर्ष भी मार्च के शुरुआती दिनों में ही तापमान ने कई स्थानों पर पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विशेष रूप से राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी अधिक है। यह स्थिति केवल मौसम का सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का संकेत भी मानी जा रही है। मार्च में ही इस तरह की गर्मी आम जनजीवन के लिए परेशानी का कारण बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव या लू एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है और लगातार कई दिनों तक बना रहता है। मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक हो जाए या मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएए तो उसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में गर्मी का मौसम सामान्य बात है, लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब गर्मी असामान्य समय पर और अत्यधिक तीव्रता के साथ पड़ने लगे। मार्च में ही राजस्थान के पश्चिमी जिलों, बाड़मेर

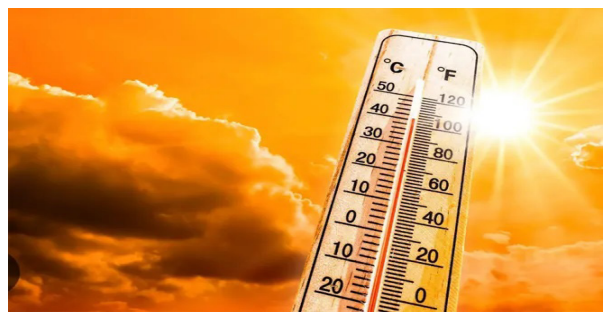

और जैसलमेर में 35 से 40 डिग्री तक तापमान पहुंचना इसी असामान्य प्रवृत्ति का उदाहरण है। यह बदलाव केवल स्थानीय कारणों से नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान का असर है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण जंगलों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाला धुआं और तेजी से बढ़ता शहरीकरण वातावरण के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मार्च में इतनी जल्दी बढ़ी गर्मी का सीधा असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर दिखाई देने लगता है। जहां पहले लोग इस समय तक आरामदायक मौसम का आनंद लेते थे, वहीं अब दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। अत्यधिक गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित मजदूर, किसान, रिक्शा चालक और खुले में काम करने वाले लोग होते हैं। लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, थकान और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। मौसम के पैटर्न में लगातार बदलाव राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां बड़ी मात्रा में गेहूं की खेती होती है, वहां समय से पहले बढ़ती गर्मी किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है। मार्च में ही बढ़ती गर्मी हमें यह संकेत देती है कि प्रकृति का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी अत्यधिक वर्षा, कभी लंबा सूखा और कभी असामान्य गर्मी, ये सभी इसी बदलाव के संकेत हैं। जलवायु संकट की यह कोई नई कहानी नहीं वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट हैं। पिछले एक सौ वर्षों में पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। भारत में यह वृद्धि कुछ क्षेत्रों में इससे भी अधिक रही है। औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन, वनों की अन्धाधुन्ध कटाई, शहरों में बढ़ता कंक्रीट का जंगल, इन सभी ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाया है जहां हीट वेव अब अपवाद नहीं। गेहूं के उत्पादन को प्रभावित किया इसके अलावा बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है क्योंकि लोग कूलर और एसी का उपयोग अधिक करने लगते हैं। इससे बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कई स्थानों पर बिजली कटौती की समस्या भी सामने आती है। असामान्य गर्मी का सबसे गंभीर प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। मार्च का महीना रबी फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी समय गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलें पकने की अवस्था में होती हैं। जब तापमान अचानक बढ़ जाता है तो फसलों के दाने ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इससे उत्पादन में कमी आने की आशंका बढ़ जाती है। विशेष रूप से गेहूं की फसल पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है और पैदावार कम हो जाती है। मार्च और अप्रैल में पड़ने वाली असामान्य गर्मी ने गेहूं के उत्पादन को प्रभावित किया है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में हीट वेव की घटनाएं और अधिक बढ़ सकती हैं। इससे न केवल कृषि बल्कि जल संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। जल स्रोतों का तेजी से सूखना, भूजल स्तर का गिरना और वनस्पतियों पर बढ़ता दबाव इस संकट को और गहरा बना सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जंगलों की कटाई रोकना और प्रदूषण को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। कृषि क्षेत्र में भी बदलते मौसम के अनुरूप नई रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व भी है।

जयदेव राठी
यह लेखक के अपने विचार हैं।

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने जारी किया पत्र

गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में तेजी लाने के निर्देश जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर: राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना' के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने प्रदेश के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर योजना के लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2.50 लाख

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकृत गोपालक सीधे पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए कर सकेंगे आवेदन

गोपालकों को ऋण वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था अब मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकृत गोपालक सीधे पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन और स्वीकृति प्राप्त करने के अलावा पत्र के अनुसार, RISL के माध्यम से पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी बदलाव और संशोधन कर दिए गए हैं, ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रही प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में दिए गए निर्देशों और पोर्टल पर किए गए संशोधनों के आधार पर अब ऋण आवेदन की प्रक्रिया को गति दी जाए। बैंक प्रशासन ने सभी सीसीबी कार्यालयों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें ताकि पशुपालकों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।

पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में 2630 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का मिलान लंबित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण और उन्हें 'ई-पैक्स' के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया में कई बाधाओं सामने आ रही है। अब नाबार्ड और सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों से लंबित पड़ी अनमेल शेष राशियों के तत्काल समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल, पैक्स के डेटा को ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सिस्टम में माइग्रेट किया गया है। लेकिन, इस डेटा की प्रमाणिकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी खातों का मिलान और प्रमाणीकरण अनिवार्य है। नाबार्ड के अनुसार, अभी भी देशभर में लगभग 2630.22 करोड़ रुपये की राशि का मिलान या प्रमाणीकरण होना बाकी है। यह देरी सरकार के 'ई-पैक्स ऑनली' के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। नाबार्ड ने राज्यों के अनुसार समस्याओं को वर्गीकृत कर समाधान के निर्देश दिए हैं । इनमें गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन ऑडिटर्स ईआरपी में राशि को अधिकृत करने में अनिच्छुक हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑडिटर्स को एक सप्ताह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दें। साथ ही, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलान पूरा हो चुका है, लेकिन प्रमाणीकरण अभी भी राज्य स्तर पर लंबित है। इन्हें एक सप्ताह के भीतर इसे पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मेघालय, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान-निकोबार में मिलान प्रक्रिया अभी चल रही है। इन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। यदि इसके बाद भी काम पूरा नहीं होता, तो इसे राष्ट्रीय स्तर की समिति की बैठक का एजेंडा बनाया जाएगा। जबकि पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड के डेटा में त्रुटियों के कारण 'रोलबैक' की स्थिति है। इन राज्यों को डेटा एंट्री दोबारा शुरू करते समय आवश्यक सुधार करने होंगे। सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएं। नाबार्ड ने भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह काम पूरा नहीं होता है, तो मामले को उच्च-स्तरीय समिति एनएलएमआईसी की बैठक में समीक्षा के लिए रखा जाएगा ताकि इस महत्वपूर्ण सुधार कार्य को समय पर पूरा किया जा सके।

'पधारो म्हारे देस' में 'हिसाब' लापता!

राजस्थान का सहकारिता विभाग 'कछुआ चाल' को भी मात दे रहा है। ताज़ा मामला पैक्स के कंप्यूटरीकरण और उनके वित्तीय मिलान से जुड़ा है, जहां राजस्थान के कई जिलों की समितियों ने करोड़ों रुपयों का हिसाब 'हवा' में छोड़ रखा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पैक्स का कंप्यूटरीकरण होना था ताकि पारदर्शिता आए। लेकिन राजस्थान की 35 बड़ी समितियों की जो सूची सामने आई है, उसे देखकर लगता है कि यहां 'पारदर्शिता' नहीं, बल्कि 'पहेली' चल रही है। अजमेर से लेकर जैसलमेर के धोरों तक, और बांसवाड़ा के जंगलों से लेकर जालौर की धरती तक करोड़ों रुपये अनरेकन्साइल्ड हैं।

रिकॉन्सिलिएशन के भंवर में फंसा डिजिटल का दावा

डिजिटल पैक्स और पारदर्शिता के बड़े-बड़े दावों के बीच, प्राथमिक कृषि साख समितियों का डिजिटलीकरण अब 'डेडलाइन' और 'रिकॉन्सिलिएशन' (मिलान) के भंवर में फंसा नजर आ रहा है। नाबार्ड की हालिया चिट्ठियों से जो तस्वीर उभर रही है, वह सरकारी काम-काज की कछुआ चाल और सुस्ती की एक और मिसाल है। पैक्स के डिजिटल भविष्य की इमारत खड़ी करने का दावा तो जोर-शोर से किया जा रहा है, लेकिन नींव में अभी भी अरबों रुपयों का बेमेल डेटा दबा हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह सरकारी 'एडवाइजरी' किसी काम आएगी, या 'ई-पैक्स' का सपना सिर्फ फाइलों की धूल में ही दबकर रह जाएगा?

मंत्रालय की फटकार, फिर भी बेखबर

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी पत्र स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश देता है कि Go-Live से पहले डेटा का मिलान अनिवार्य है। पत्र

में साफ लिखा है कि जब तक पुरानी विसंगतियां दूर नहीं होतीं और राज्य सरकार इसकी पुष्टि नहीं करती, तब तक आगे की प्रक्रिया बाधित रहेगी। लेकिन राजस्थान के सहकारिता गलियारों में शायद यह पत्र किसी फाइल के नीचे दबकर 'विश्राम' कर रहा है।

जिलों का हाल : जहां आंकड़ों की 'रेत' उड़ रही है

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के कुछ प्रमुख जिलों की स्थिति इस प्रकार है जो विभाग की कार्यक्षमता पर कड़ा सवाल कसती है । बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी अंचल के विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाले विभाग को यह नहीं पता कि छाजा, गमाना और कनेला जैसी समितियों में लाखों-करोड़ों की विसंगति क्यों है? अकेले कनेला समिति में 98,40,779 का हिसाब नहीं मिल रहा। इसी तरह सीमावर्ती जिले जैसलमेर की खुइयाला समिति ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां 1,85,48,534 से ज्यादा की राशि अन-रिकॉन्सिल्ड है। शायद रेगिस्तान की आंधी में विभाग के कैलकुलेटर की बैटरी खत्म हो गई थी! इतना ही नहीं, अजमेर और जालौर में भी हिसाब 'पत्थर' जैसा सख्त हो गया है। दंतरा और बदनवाड़ी जैसी समितियों में भी 50 लाख से 70 लाख रुपये के बीच का हिसाब 'लापता' है।

खाद के साथ जबरन अटैचमेंट पर सरकार सख्त

जयपुर। विधानसभा में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों के साथ किसानों को जबरन अन्य उत्पाद थमाने (अटैचमेंट) की प्रथा पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इससे किसानों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ को रोकने के लिए विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। मंत्री ने बताया कि राज्य भर में 11,938 औचक निरीक्षण किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 765 फर्मों को नोटिस दिए गए, 381 की बिक्री पर रोक लगाई गई और 169 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए। उर्वरकों की कालाबाजारी और डायवर्जन रोकने के लिए जिला और पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई हैं। डॉ. मीणा ने कहा कि बड़ी कंपनियों द्वारा भी जबरन अटैचमेंट की शिकायतें मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तस्करी रोकने के लिए पुलिस के सहयोग से नए चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। रबी सीजन 2025-26 के दौरान डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही, पूर्वी राजस्थान में उर्वरकों की तस्करी के मामलों में एफआईआर दर्ज कर जब्ती की कार्रवाई भी की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी विक्रेता या कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री ने की किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी

प्रदेश में किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तान्तरित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । किसान देश की आत्मा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान के सम्मान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करोड़ों किसान परिवारों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त हस्तान्तरित की है। इनमें राजस्थान के 66 लाख 76 हजार से अधिक किसान शामिल हैं, जिन्हें 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी असम के गुवाहाटी में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के हस्तान्तरण कार्यक्रम तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान से वीसी के जरिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में जुड़े और उनका संबोधन भी सुना। इसी कड़ी में श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि किसान हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता में हैं। गत वर्षों में उनके नेतृत्व में किसान संबंधी नीति में नई सोच आई है। अब किसान को देश की ताकत माना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दृढ़ संकल्प है कि भारत का किसान समृद्ध बने। इस दिशा में अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान, महिला, युवा एवं गरीब के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश के किसानों को 3 हजार रुपये की सम्मान निधि देने का काम किया है, जिससे अब केंद्र व राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली यह राशि 9 हजार रुपये हो गई है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 वर्षों में किसान हित में अनेक कार्य किए हैं। इसमें कृषकों की आय दोगुनी करने एवं विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

किसान की आय दोगुनी एवं लागत कम करने की दिशा में किए महत्वपूर्ण कार्य-

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप देश में किसान की आय दोगुनी एवं लागत कम करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के प्रथम दिन ही किसान सम्मान निधि जारी करने की स्वीकृति दी, यह उनकी किसान कल्याण और सेवा की प्राथमिकता को दर्शाता है।

फसल बीमा योजना में 6 हजार 473 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम वितरित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल राज्य सरकार की ओर से 3 हजार रुपये की अतिरिक्त सम्मान राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सम्मान निधि की राशि को चरणबद्ध रूप से 12 हजार रुपये तक बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। फसल बीमा योजना में खराबे पर पूर्ववर्ती सरकार से ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। इस योजना में अब तक 6 हजार 473 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम राज्य में वितरित किए जा चुके हैं।

50 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य खरीद पर 150 रुपये के अतिरिक्त बोनस का प्रावधान है। अब तक 78 लाख से अधिक किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। हमारी सरकार ने बिजली बिलों पर 50 हजार 833 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है और 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 800 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वहीं, लगभग 80 हजार किसानों को डिग्गी, सिंचाई पाइप लाइन, फार्म पौंड निर्माण के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान भी दिया जाएगा।

'सहकार से समृद्धि' की पहल में राजस्थान अग्रणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' की पहलों को प्रभावी रूप से लागू करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। इसी क्रम में अन्न भंडारण योजना के तहत राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। वर्ष 2026-27 के बजट में भी 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वहीं, 250 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों के निर्माण तथा पुराने गोदामों के नवीनीकरण से भंडारण क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

वर्ष 2026-27 में कृषि बजट 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये

श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने कृषकों के कल्याण को ध्यान में रखकर गत सरकार के अंतिम वर्ष 2023-24 के मुकाबले ऐतिहासिक 34 प्रतिशत की वृद्धि करके वर्ष 2026-27 में कृषि बजट 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये रखा है। वहीं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक 16 लाख से अधिक पशुओं की निशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की गई है और पॉलिसी धारकों को लगातार क्लेम वितरण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन गांवों में सेवा दे रहे हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो रहा है। इस योजना में अब तक 682 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

सवा लाख से अधिक पदों पर दी नियुक्तियां

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक होता था, लेकिन अब हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे में 21 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रदेश में अब तक सवा लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। वहीं, 1 लाख 35 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में एक लाख पदों के स्थान पर एक लाख 25 हजार पदों पर भर्ती के लिए कैलेण्डर जारी करने की घोषणा भी की है।

गोशालाओं को अब तक 2 हजार 648 करोड़ रुपये का अनुदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 59 हजार सोलर पंप लगाए गए हैं, जिन पर 921 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। कम पानी से अधिक पैदावार के लक्ष्य के साथ 2 लाख 11 हजार हैक्टेयर में ड्रिप और फव्वारा संयंत्र लगवाए हैं। इस पर 888 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि खेतों में डिग्गी और फार्म पौंड के निर्माण पर 490 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। गोशालाओं के लिए अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर अब तक 2 हजार 648 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत वादे किए पूरे

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते सहित अनेक जल परियोजनाओं पर जरूरी कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के मुकाबले सवा दो साल में ही किसान कल्याण के लिए अधिक कार्य किए हैं। वहीं, संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत वादे भी पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं पशुपालन के काम से जुड़ी हैं। इसलिए राज्य सरकार दूध पर पांच रुपये प्रति लीटर का अनुदान दे रही है।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) रविवार, 15 मार्च 2026
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
MSME Reg. - UDYAM-RJ-19-0033346

राजफेड द्वारा रबी-2026 के अंतर्गत सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र शुरू की जा रही है

1 अप्रेल से होगी सरसों एवं चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद राजफेड द्वारा रबी-2026 के अंतर्गत सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र शुरू की जा रही है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राजफेड के चार क्षेत्रीय कार्यालयों कोटा, अजमेर, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मार्च से एवं खरीद 25 मार्च से शुरू होगी। जबकि, शेष चार क्षेत्रीय कार्यालयों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मार्च एवं खरीद 1 अप्रेल से शुरू होगी। श्री दक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति क्विंटल एवं चना का समर्थन मूल्य 5,875 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य में सरसों की 13.78 लाख मीट्रिक टन एवं चना की 5.53 लाख मीट्रिक टन खरीद की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिलेवार सीमा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में एनसीसीएफ द्वारा एवं जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर एवं भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 22 जिलों में नेफेड द्वारा खरीद कार्य करवाया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरसों एवं चना विक्रय के इच्छुक किसान स्वयं क्यूआर कोड स्कैन कर अथवा ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकेंगे। समर्थन मूल्य पर ख़रीद किसानों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर ख़रीद 60 दिवस की अवधि में की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने राजफेड को निर्देश दिए हैं कि खरीद केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर ली जाए।

क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत जिले

जयपुर	:	जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, सीकर, टोंक, झुंझुनूं
उदयपुर	:	उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
श्रीगंगानगर	:	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
भरतपुर	:	भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर
अजमेर	:	अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, ब्यावर, कुचामन-डीडवाना
जोधपुर	:	जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा, फलौदी
बीकानेर	:	बीकानेर, चूरू
कोटा	:	कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़

राजफेड में कॉल सेन्टर स्थापित

सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसान पूर्व की भांति एफएक्यू गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप अपनी फसल क्षेत्र की क्रय-विक्रय अथवा ग्राम सेवा सहकारी समिति केन्द्र पर विक्रय कर सकेंगे। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए राजफेड में कॉल सेन्टर 18001806001 स्थापित किया गया है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपनी फसल को साफ-सुथरा कर तथा छानकर क्रय केन्द्रों पर लाएं ताकि गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप जिंस विक्रय कर सकें।

केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिली 85 करोड़ से अधिक की ब्याज सहायता राशि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर ।भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना के तहत राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों को 85 करोड़ 32 लाख की राशि जारी की गई है । इसके लिए राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के उप महाप्रबंधक (परिचालन) मनप्रीतसिंह ने एक एडवाईस जारी की है । इसके अनुसार, वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 पेटे समय पर फसली ऋण का चुकारा करने वाले किसानों को देय 3 प्रतिशत ब्याज सहायता एवं फसली ऋण वितरण पर बैंकों को देय 1.50 प्रतिशत ब्याज सहायता के तहत 85 करोड़ 32 लाख की राशि जारी कर दी है। यह राशि सीधे तौर पर राज्य के विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों के चालू खातों में जमा कर दी गई है। साथ ही, सभी संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्राप्त राशि को योजना के नियमों के अनुसार उचित रूप से समायोजित करें। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सीकर सीसीबी को 11 करोड़, हनुमानगढ़ सीसीबी को 10 करोड़, श्रीगंगानगर सीसीबी को 8 करोड़, बीकानेर सीसीबी को 6 करोड़, झुंझुनूं सीसीबी को 6 करोड़, कोटा सीसीबी को 6 करोड़, अजमेर सीसीबी को 5 करोड़, बूंदी सीसीबी को 5 करोड़, जैसलमेर सीसीबी को 5 करोड़, टोंक सीसीबी को 5 करोड़, भरतपुर सीसीबी को 4 करोड़, जालोर सीसीबी को 4 करोड़, बांसवाड़ा सीसीबी को 3 करोड़, नागौर सीसीबी को 1 करोड़, अलवर सीसीबी को 68 लाख, सवाई माधोपुर सीसीबी को 12 लाख, बारां सीसीबी को 11 लाख, जयपुर सीसीबी को 8 लाख, भीलवाड़ा सीसीबी को 5 लाख, उदयपुर सीसीबी को 6 लाख की राशि जारी की हैं ।

2000 मीट्रिक टन और 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का उद्घाटन

निमोद पैक्स में 2500 MT क्षमता के गोदामों का उद्घाटन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

डीडवाना | जिले की 'बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति (M-PACS) निमोद' के विस्तार पटल ग्राम बांसा-निमोद में दो नए सहकारी गोदामों का भव्य लोकार्पण किया गया। पूजा-अर्चना के साथ आयोजित इस समारोह में 2000 मीट्रिक टन (विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत) और 500 मीट्रिक टन (राज्य बजट घोषणा के तहत) क्षमता के गोदामों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष खेमाराम बुगलिया ने की, जिन्होंने सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक प्रत्याशी जितेन्द्र सिंह जोधा ने शिलापट्टिका का अनावरण कर और रिबन काटकर गोदामों का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जोधा ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम दक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "डीडवाना क्षेत्र के किसानों के लिए ये गोदाम एक बड़ी सौगात हैं। सरकार सहकारिता के माध्यम से किसानों की उपज खरीदने और भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।" कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक (NCDC) सुनील छापोला, नाबार्ड DDM मोहित चौधरी, संयुक्त निदेशक (कृषि) डॉ. हरिओम सिंह, सहायक रजिस्ट्रार पीथदान चारण, इफको के पृथ्वीराज सिहाग और नागौर CCB के मुख्य प्रबंधक सुरेश अग्रवाल सहित जिला परिषद सदस्य, सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण व महिला समूह उपस्थित रहे। अंत में व्यवस्थापक झूमरमल भार्गव ने सभी का आभार व्यक्त किया।

ऋण वितरण और अन्य उपलब्धियां

समारोह के दौरान अतिथियों ने 'गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत पुरुष और महिला गोपालकों को एक-एक लाख रुपये के ऋण के चेक वितरित किए। समिति के मुख्य सलाहकार सुभाष आर्य ने निमोद समिति की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा वर्तमान में सोलर उत्पादन प्लांट और वाटर प्यूरीफाई प्लांट, दो आधुनिक लाइब्रेरी और मिनी बैंक (लॉकर सुविधा सहित), महिला स्वयं सहायता समूह और कृषि यंत्र सुविधा सुविधाएं संचालित की जा रही हैं: साथ ही पेट्रोल पंप योजना प्रस्तावित हैं ।

सहकारिता का 'तीर्थ' है निमोद: आमेरा

विशिष्ट अतिथि और सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने केंद्र सरकार द्वारा पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन की सराहना करते हुए कहा कि 2047 के 'विकसित भारत' के निर्माण में सहकारिता मॉडल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमेरा ने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की कि उपज खरीद और भंडारण में निजी गोदामों के बजाय निमोद जैसी 'आदर्श पैक्स' (PACS) के गोदामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निमोद को "सहकारिता का तीर्थ और पर्यटन स्थल" घोषित करते हुए कहा कि प्रत्येक सहकारी कर्मचारी और प्रतिनिधि को यहाँ का भ्रमण करना चाहिए ताकि वे सहकारिता के इस उत्कृष्ट मॉडल से सीख ले सकें।

केंद्रीय सहकारी बैंकों को नहीं मिलेगी निशुल्क भूमि : विधानसभा में बोले मंत्री, 'वाणिज्यिक संस्थान' है श्रेणी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य के 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों की कुल 304 शाखाएं वर्तमान में किराए के भवनों में चल रही हैं। इन शाखाओं के कार्यक्षेत्र में प्रदेश के 29,639 गांव आते हैं। यह जानकारी चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह चौहान (आक्या) द्वारा सोलहवीं विधानसभा के पांचवें सत्र के दौरान पूछे गए तारांकित सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने दी हैं । दरअसल, विधायक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की तर्ज पर इन CCBs को भी निशुल्क भूमि आवंटित करने का सवाल भी किया गया था । इस पर सहकारिता मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक RBI से लाइसेंस प्राप्त 'वाणिज्यिक संस्थान' की श्रेणी में आते हैं और अपने खर्चों का वहन स्वयं के लाभ कोष से करते हैं। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इनके लिए निशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। हालांकि, चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने आश्वस्त किया कि यदि भविष्य में ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो सरकार उन पर विचार कर निर्णय ले सकती है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि वित्तीय और परिचालन लागत अधिक होने के कारण सहकारी बैंकों की शाखाओं में अलग से वित्तीय/बैंकिंग सेवा कियोस्क खोलने की योजना अभी विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में पैक्स के माध्यम से सदस्यों को नकद जमा, निकासी और मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

नए केंद्रीय सहकारी बैंक खोलने की तैयारी : सर्वे के आधार पर होगा निर्णय

सहकारिता राज्य मंत्री गोतम कुमार ने विधानसभा में जानकारी दी कि जिन जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं हैं, वहां सर्वे के बाद सक्षमता के आधार पर नए बैंक स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, केंद्रीय सहकारी बैंकों के उप-नियमों में बदलाव कर बीमा व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां सीमित संसाधनों वाली संस्थाएं हैं, जिन्हें सरकार आधारभूत ढांचे के लिए निःशुल्क भूमि और सहायता देती है। इसके विपरीत, जिला स्तरीय केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास स्वयं की पूंजी और आय के स्रोत होने के कारण, उन्हें भूमि आवंटन नीति के तहत निःशुल्क भूमि देना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिव में खोला जाएगा को-ऑपरेटिव मेडिकल स्टोर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। विधानसभा में सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार ने बताया कि बाड़मेर जिले में वर्तमान में 13 को-ऑपरेटिव मेडिकल स्टोर संचालित हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिव में कक्ष अथवा दुकान का आवंटन होते ही वहां को-ऑपरेटिव मेडिकल स्टोर खोला जाएगा। इसके लिए सीएमएचओ बाडंमेर को पत्र लिखा गया है। गौतम कुमार सदस्य रविन्द्र सिंह भाटी के पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में बाड़मेर में सहकारी उपभोक्ता भंडार का शुद्ध लाभ 11 लाख 64 हजार रुपए रहा है। बाड़मेर की क्रय-विक्रय सहकारी समिति का शुद्ध लाभ 8 लाख 89 हजार रुपए है। इसी प्रकार क्रय - विक्रय सहकारी समिति बायतु, चौहटन व शिव में क्रमशः 20 लाख, 2 लाख 57 हजार व 2 लाख 53 हजार का शुद्ध लाभ हुआ है। गौतम कुमार ने सदस्य श्री भाटी के प्रश्न के लिखित जवाब में बाडमेर में वर्तमान में संचालित सहकारी मेडिकल दुकानों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने उक्त दुकानों के आवंटन की तिथि, प्रत्येक दुकान जिस सहकारी संस्था के नाम से आवंटित की गई हैं तथा वर्तमान में दुकानों के संचालन की स्थिति का दुकानवार विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी श्रेणी के चिकित्सालय परिसर में सहकारी संस्थाओं की दवा दुकान खोलने के लिए आवंटन की शर्तें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार के 08 जून 2007 के आदेश क्रमांक प.13(46) चिस्वा/2/99/पार्ट में उल्लेखित है। उन्होंने आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखी।

विधानसभा में जवाब : ब्याज अनुदान और क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिले 1470 करोड़

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। प्रदेश में अल्पकालीन फसली ऋण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे पिछले तीन वर्षों के दौरान 994.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सहकारिता विभाग ने यह जानकारी 16वीं राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र में विधायक ताराचंद जैन द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा की है । दअरसल विधायक ने सरकार से पिछले तीन वर्षों में योजना के तहत जारी ब्याज अनुदान और लाभान्वित किसानों का जिलावार विवरण मांगा था। आज विधानसभा में विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब के अनुसार, वर्ष 2022-23 में 371.44 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 428.45 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में 194.69 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया गया है। गौरतलब है कि विभाग ने अपने जवाब में वर्ष 2025-26 के आंकड़ों को शामिल नहीं किया है, जबकि यह समय अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। इस विसंगति से यह संकेत मिलता है कि संभवतः सरकार ने वर्ष 2025-26 के पेटे अभी तक ब्याज अनुदान की राशि जारी नहीं की है। वही सहकारी किसान कार्ड योजना के संबंध में पूछे गए सवाल पर सरकार ने बताया कि प्रदेश की सहकारी समितियों के माध्यम से लाखों किसानों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण और अन्य जरूरी सुविधाएं निरंतर उपलब्ध कराई गई हैं।

वर्ष 2022-23	371.44 करोड़
वर्ष 2023-24	428.45 करोड़
वर्ष 2024-25	194.69 करोड़

का ब्याज अनुदान दिया गया

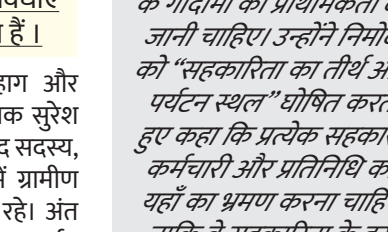

मिली 475.59 करोड़ की राशि

विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में केंद्रीय सहकारी बैंकों को 0.80 प्रतिशत की दर से कुल 475.59 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति ब्याज सहायता राशि जारी की गई है। इस सहायता के तहत वर्ष 2022-23 में 144.24 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 177.30 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में 154.05 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इस कुल राशि में से प्रमुख रूप से जयपुर जिले को 30.10 करोड़ रुपये, भीलवाड़ा जिले को 25.51 करोड़ रुपये और हनुमानगढ़ जिले को 25.06 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

ब्याज अनुदान के रूप में 994 करोड़ का भुगतान

सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार, राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि में केंद्रीय सहकारी बैंकों को कुल 994.58 करोड़ रुपये का भुगतान ब्याज अनुदान के रूप में किया है। वही, जिलेवार बात करें तो बाड़मेर (52.88 करोड़), जयपुर (61.98 करोड़), हनुमानगढ़ (52.20 करोड़) और श्रीगंगानगर (48.96 करोड़) जैसे जिलों में किसानों ने ऋण चुकाने में अधिक तत्परता दिखाई है, जिसके कारण इन जिलों को सर्वाधिक ब्याज अनुदान का लाभ मिला है।

ऋण बांटने का शोर, अनुदान में घोर कंजूसी

सहकारी आंदोलन के त्रि-स्तरीय ढांचे के विशेषज्ञों का कहना हैं कि विधानसभा में दिए गए सरकारी आंकड़े जहाँ अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सरकार ने प्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण बांटने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो तय कर दिया, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो 'ईंधन' यानी ब्याज अनुदान चाहिए था, उसे देने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। हालत यह है कि पिछले साल 25 हजार करोड़ का भारी-भरकम ऋण बांटने के बावजूद ब्याज अनुदान के नाम पर सहकारी समितियों के हाथ खाली रहे। इतना ही नहीं, वर्ष 2024-25 में 23 हजार करोड़ के ऋण वितरण के बदले ऊंट के मुंह में जीरे के समान महज 194 करोड़ रुपये का अनुदान देकर औपचारिकता पूरी कर ली गई। यह विडंबना ही है कि जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां इस ब्याज अनुदान से मिलने वाली आय पर ही दम तोड़ रही हैं, सरकार उन्हीं की आर्थिक कमर तोड़ने में जुटी है। लक्ष्य का पहाड़ खड़ा करने वाली सरकार यह भूल गई कि बिना अनुदान के इन समितियों का 'ऑक्सीजन' बंद हो चुका है।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।